भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-286

उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

फर्जी विश्वविद्यालय

†*286. **श्री सुधीर गुप्ता:**
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में कोई आंकड़े हैं, यदि हां, तो राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या फर्जी विश्वविद्यालयों के स्वामियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास फर्जी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के बारे में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो सरकार ने छात्रों के पक्ष में क्या कदम उठाए हैं; और
(घ) ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध जनता को सचेत करने के लिए नोटिस जारी करने के अलावा सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

माननीय संसद सदस्यों श्री सुधीर गुप्ता और श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे द्वारा 'फर्जी विश्वविद्यालय' के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 286 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वेबसाइट https://www.ugc.gov.in/universitydetails/Fakeuniversity पर उपलब्ध है। फिलहाल, इस सूची में 21 संस्थान शामिल हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखना संबंधित राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे इन संस्थानों को बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई करें तथा स्वयं को "विश्वविद्यालय" के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए डिग्री प्रदान करके तथा अपने नाम के साथ "विश्वविद्यालय" शब्द का प्रयोग करके छात्रों के साथ धोखा देने और धोखाधड़ी करने में संलिप्त संस्थानों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करें। यह भी अनुरोध किया गया कि यदि उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे अन्य फर्जी विश्वविद्यालय कार्य कर रहें हैं, जो यूजीसी की फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल नहीं हैं, तो केंद्र सरकार/यूजीसी को सूचित किया जाए।

(घ): यूजीसी द्वारा आम जनता, छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को सावधान करने हेतु सोशल मीडिया और यूजीसी वेबसाइट के माध्यम से सामान्य जागरूकता के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने के अतिरिक्त, यूजीसी/सरकार द्वारा ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

i. सरकार और यूजीसी ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे उन संस्थानों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करें जो स्वयं को "विश्वविद्यालय" के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए डिग्री प्रदान करके और अपने नाम के साथ "विश्वविद्यालय" शब्द का प्रयोग करके छात्रों को धोखा देने और धोखाधड़ी करने में शामिल हैं।
ii. कई स्वयंभू संस्थानों/विश्वविद्यालयों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई हैं।
iii. अवैध डिग्री प्रदान करने वाले अनधिकृत संस्थानों को कारण बताओ नोटिस/चेतावनी नोटिस भी जारी किए गए हैं।

*****